न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 23 / 2022
जीसीएमएस नं. 2022 / 97

दायर दिनांक 01.09.2022
निर्णय दिनांक 23.07.2025

उनवान

1. श्रीमति गेंदु कुंवर पत्नि स्व. फतेहसिंह राव निवासी भाटोली तहसील साबला जिला डूँगरपुर
2. श्री शंकरसिंह राव पिता स्व. फतेहसिंह राव निवासी भाटोली तहसील साबला जिला डूँगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री भीमसिंह पिता पृथ्वी सिंह निवासी भाटोली तहसील साबला जिला डूंगरपुर
2. श्रीमति हंतोक कुंवर पत्नि भीमसिंह राव निवासी भाटोली तहसील साबला जिला डूंगरपुर
3. भूमिधारी तहसीलदार साबला, जिला डूंगरपुर।

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1. संजीव भटनागर, अधिवक्ता – अपीलाण्ट
2. श्री लक्ष्मीलाल जैन, अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट्स

–:निर्णय:– **दिनांक – 23.07.2025**

1 .अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाटोली तहसील साबला जिला डूँगरपुर का खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.1618 हैक्टेयर कृषि भूमि विपक्षी भीमसिंह एवं

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

हंतोक कुंवर द्वारा दिनांक 18.11.2021 को आवंटन दरखास्त उपखण्ड अधिकारी साबला जिला डूँगरपुर को प्रस्तुत कर उक्त भूमि की मौके की सही स्थिति को छिपा कर बिना सार्वजनिक सूचना एवं बिना जानकारी के गुप चुप तरीके से मौका दिखाये बगैर, भूमि का कब्जा प्राप्त किये बगैर मिसल संख्या 70 / 18.11.2021 फैसल दिनांक 18.11.2021 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 के तहत अपने नाम आवंटित करवा ली है। भूमि पर आवंटन के पहले अथवा आवंटन के बाद आज दिन तक विपक्षी का कब्जा व उपयोग मे नही आ रही है ना ही आवंटन के समय भूमि का कब्जा विपक्षी को सूपूर्द हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 2666 बिलानाम भूमि पिछले तकरीबन 13–15 वर्षो से प्रार्थीगण के कब्जे, उपयोग में निरन्तर चली आ रही है।खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि के पास प्रार्थीगण के खाते का खसरा नम्बर 2662 रकबा 0.1294 है0 भूमि है जो दोनो खसरे एक दूसरे से जुडे हुए है जिन दोनो खसरो व प्रार्थीगण के खाते के अन्य खसरो पर प्रार्थीगण प्रतिवर्ष बाजरा, तिल एवं पशुओ के लिये चारा लगा कर खेती करते आ रहे है। खसरा नम्बर 2666 पर व पास के खाते की भूमि पर प्रार्थीगण की पुरानी बाड लगी हुई है, जो आज भी मौके पर मौजूद है। विपक्षीगण को आवंटित खसरा नंबर 2666 के आस पास कोई भूमि नही है ना ही निवास है। विपक्षीगण ने उक्त खसरे पर कब्जे के गलत तथ्य बता उक्त भूमि बगैर मौका दिखाये एक दिन में ही दिनांक 18.11.2021 को आवेदन कर दिनांक 18.11.2021 को ही अपने नाम आवंटित करवा ली है, जबकि भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। विपक्षी विवादित भूमि पर आवंटन के पहले व आवंटन के पश्चात कभी नही आया। लेकिन, अभी जुलाई 2022 में विपक्षी अपने साथ कई लोगो को लेकर आया और विवाद करने लगा तथा बताया कि खसरा नम्बर 2666 पर अब मैं खेती नही करने दूंगा। भूमि अब बिलानाम नही रही। हमारे नाम से आवंटित हो गई है। विपक्षीगण के मौके पर आकर प्रार्थीगण के शान्ति पूर्ण कब्जे एवं उपयोग में बाधा उत्पन्न करने के प्रयास की शिकायत प्रार्थीगण ने संबंधित पुलिस थाने में दर्ज करवाई जिस पर विपक्षीगण चले गये। विपक्षीगण द्वारा मौके पर आकर विवाद करने के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक रेकार्ड की जानकारी करने एवं आवश्यक नकले लेने पर विवादित खसरा नम्बर 2666 दिनांक 18.11.2021 को विपक्षीगण के संयुक्त नाम पर आवंटित होने की जानकारी मिलने पर यह अपील पेश की जा रही है। भूमि विपक्षीगण के

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

नाम आवंटित होने पर भी आज दिन तक रेकार्ड जमाबंदी मे विपक्षीगण का खाता दर्ज नही हुआ है। भूमि जमाबंदी में बिलानाम ही दर्ज है। आवंटन के खिलाफ ठोस आधार पर अपील पेश की जा चुकी है। ऐसे में अपील के लंबित रहते विवादित खसरा नम्बर 2666 के रेकार्ड एवं मौके की स्थिति पर यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा वाद विवाद बढेगा तथा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। विपक्षी ने आवंटन की शर्तो की पालना में भूमि पर कब्जा व काश्त नही की है। ऐसे में वादग्रस्त भूमि के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है। विपक्षी के हक में जारी भूमि आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । आवंटन आदेश कमांक 70 / 18.11.2021 में खसरा नम्बर 2666 के अलावा खसरा नम्बर 2276 रकबा 0.2427 भी विपक्षीगण को आंवटित की गई है। अतः आवंटन आदेश को खसरा नम्बर 2666 तक निरस्त किया जाना आवश्यक है। आवंटित भूमि से विपक्षी दूर रहते है। आवंटन की शर्तो का कभी पालन नही किया ना ही विपक्षी का भूमि पर कब्जा है।

अतः अतः उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमावें।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल जैन द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया।

3 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार भाटोली तहसील साबला जिला डूँगरपुर में स्थित आराजी नम्बर 2666 में से 0.1618 है0 भूमि प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत विपक्षी नम्बर 1 एवं 2 को दिनांक 18.11.2021 को आवंटित की गई है। उक्त तथ्यो को विपक्षी ने अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार से छुपाया नही हैं, क्योंकि यह बिलानामा जमीन थी इस कारण आवंटन करने के भी समस्त अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होने से एवं अन्य किसी व्यक्ति का इस आराजी का आवेदन नही होने से पटवारी की रिपोर्ट लेकर भू– आवंटन समिति जिसमे प्रभारी अधिकारी, तहसीलदार साबला, विकास अधिकारी साबला, प्रधान साबला एवं सरपंच ग्राम पंचायत दौलपुरा जिसके क्षैत्र में गॉव

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

भाटोली है, जिसमें सर्वसहमति से आम जनता की उपस्थिति में विपक्षी को वादग्रस्त भूमि एवं आराजी नम्बर 2276 जमीन को आवंटित किया है। इसके अलावा इस आराजी नम्बर 2666 की जमीन में सें एक अन्य व्यक्ति को भी जमीन आवंटित हुई है जिसका नया नम्बर 3329/2666 है। विपक्षी को पटवार हल्का दौलपुरा में दिनांक 22.02.2022 के रोज उक्त जमीन का कब्जा मौके पर सुपुर्द किया है। विपक्षी का आराजी नम्बर 2666 पर कब्जा कई वर्षो से चला आ रहा था और इसके लिए तहसीलदार साबला के द्वारा विपक्षी का कब्जा अनाधिकृत मानकर अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम में कई बार कार्यवाही की गई, जिसके जो साक्ष्य विपक्षी के पास उपलब्ध है, इसके अनुसार तहसीलदार साबला के द्वारा वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 एवं 2021 के नोटिस पेश है। इससे यह स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 2666 पर विपक्षी का कब्जा आवंटन के पहले से चला आ रहा है, एवं आवंटन के पश्चात बतौर खातेदार के कब्जा पटवारी हल्का दौलपुरा के द्वारा दिनांक 22.02.2022 के रोज सुपुर्द कर काबिज किया गया । वादग्रस्त आराजी नम्बर 2666 पर कभी भी कब्जा एवं काश्त प्रार्थी का नही रहा है। आराजी नम्बर 2666 का नया नम्बर 3333/3328 है इसके अलावा आराजी नम्बर 2666 में से अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आवंटित हुई है जिसका नया नम्बर 3329/2666 ,2666/1 है। आराजी नम्बर 2662 एवं 2660 के नीचे दक्षिण में आराजी नम्बर 2666 जिसका नया नम्बर 3334/3328 स्थित है।

प्रार्थी का उक्त आराजी नम्बर 2666 एवं 2662 पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त में आराजी नम्बर 2666 एवं 2662 के आस पास कोई अन्य जमीन स्थित नही है। इन दोनो आराजीयात के चारो ओर थुअर की बाड विपक्षी के द्वारा लगाई हुई चली आ रही है। आराजी नम्बर 2666 पर सन 2021 से पहले कई वर्षो से कब्जा एवं काश्त वादग्रस्त जमीन चला आ रहा था, क्योंकि उस समय यह राज्य सरकार की खाते की जमीन थी इस कारण विपक्षी के कब्जे काश्त के कारण तहसीलदार साबला के द्वारा विपक्षी को अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस देकर जुर्माना वसुल किया गया । इसके साक्ष्य के रूप में सन 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 एवं 2021 के नोटिस पेश है। आवंटन दिनांक 18.11.2021 के पश्चात दिनांक 22.02.2022 के रोज पटवारी हल्का दोलपुरा

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

जिसके क्षैत्र में गांव भाटोली है ने विपक्षी को कब्जा सुपुर्द कर, बतौर खातेदार कब्जा करवाया है। विपक्षी ने उक्त आराजी में तिल की फसल भी की है एवं पूर्व से ही करता आ रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।.

4. **हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।**

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम भाटोली तहसील साबला जिला डूँगरपुर का खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.1618 हैक्टेयर कृषि भूमि विपक्षी भीमसिंह एवं हंतोक कुंवर द्वारा दिनांक 18.11.2021 को आवंटन दरखास्त उपखण्ड अधिकारी साबला जिला डूँगरपुर को प्रस्तुत कर उक्त भूमि की मौके की सही स्थिति को छिपा कर बिना सार्वजनिक सूचना एवं बिना जानकारी गुप चूप तरीके से मौका दिखाये बगैर, भूमि का कब्जा प्राप्त किये बगैर मिसल संख्या 70 / 18.11.2021 फैसल दिनांक 18.11.2021 राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 के तहत अपने नाम आवंटित करवा ली है। भूमि पर आवंटन के पहले अथवा आवंटन के बाद आज दिन तक विपक्षी का कब्जा व उपयोग मे नही आ रही है ना ही आवंटन के समय भूमि का कब्जा विपक्षी को सूपूर्द हुआ। खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि के पास प्रार्थीगण के खाते का खसरा नम्बर 2662 रकबा 0.1294 है0 भूमि है जो दोनो खसरे एक दूसरे से जुडे हुए है जिन दोनो खसरो व प्रार्थीगण के खाते के अन्य खसरो पर प्रार्थीगण प्रतिवर्ष बाजरा, तिल एवं पशुऔ के लिये चारा लगा खेती करते आ रहे है। खसरा नम्बर 2666 व पास के खाते की भूमि पर प्रार्थीगण की पुरानी बाड लगी हुई है जो आज भी मौके पर मौजूद है। विपक्षीगण को आवंटित खसरा नंबर 2666 के आस पास कोई भूमि नही है। विपक्षीगण ने उक्त खसरे पर कब्जे के गलत तथ्य बता उक्त भूमि बगैर मौका दिखाये एक दिन में ही दिनांक 18.11.2021 को आवेदन कर दिनांक 18.11.2021 को ही अपने नाम आवंटित करवा ली है, जबकि भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। विपक्षी विवादित भूमि पर आवंटन के पहले व आवंटन के पश्चात कभी नही आया लेकिन जुलाई 2022 में विपक्षी अपने साथ कई लोगो को लेकर आया और विवाद करने लगा तथा बताया कि खसरा नम्बर 2666 पर अब मैं खेती नही करने दूंगा भूमि अब बिलानाम नही रही हमारे नाम से

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

आवंटित हो गई है। विपक्षीगण द्वारा मौके पर आकर विवाद करने के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक रेकार्ड की जानकारी करने एवं आवश्यक नकले लेने पर विवादित खसरा नम्बर 2666 दिनांक 18.11.2021 को विपक्षीगण के संयुक्त नाम पर आवंटित होने की जानकारी मिलने पर यह अपील पेश की है। भूमि विपक्षीगण के नाम आवंटित होने पर भी आज दिन तक रेकार्ड जमाबंदी मे विपक्षीगण का खाता दर्ज नही हुआ, भूमि जमाबंदी में बिलानाम ही दर्ज है। विपक्षी के हक में जारी भूमि आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । आवंटन आदेश कमांक 70/18.11.2021 में खसरा नम्बर 2666 के अलावा खसरा नम्बर 2276 रकबा 0.2427 भी विपक्षीगण को आंवटित की गई है। अतः आवंटन आदेश को खसरा नम्बर 2666 तक निरस्त किया जाना आवश्यक है। आवंटित भूमि से विपक्षी दूर रहते है आवंटन की शर्तो का कभी पालन नही किया है और ना ही विपक्षी का भूमि पर कब्जा काश्त है।

अतः उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त करावें।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट स. 01 व 02 की ओर अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 2666 की जमीन में से 0.1618 है0 कृषि जमीन को दिनांक 18.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत विपक्षी नम्बर 1 एवं 2 के दिनांक 18.11.2021 को नियमानुसार आवंटित की गई है। उक्त तथ्यो को विपक्षी ने किसी भी प्रकार से छुपाया नही हैं क्योंकि यह बिलानाम जमीन थी, इस कारण आवंटन करने के भी समस्त अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होने से एवं अन्य किसी व्यक्ति का इस जमीन का आवेदन नही होने से पटवारी की रिपोर्ट लेकर भू– आवंटन समिति जिसमे प्रभारी अधिकारी, तहसीलदार साबला, विकास अधिकारी साबला, प्रधान साबला एवं सरपंच ग्राम पंचायत दौलपुरा जिसके क्षैत्र में गॉव भाटोली है जिसमें सर्वसहमति से आम जनता की उपस्थिति में विपक्षी को उक्त उपर वर्णित जमीन एवं आराजी नम्बर 2276 जमीन को आवंटित किया है। विपक्षी को पटवार हल्का दौलपुरा में दिनांक 22.02.2022 के रोज उक्त जमीन का कब्जा मौके पर सुपुर्द किया है। विपक्षी का आराजी नम्बर 2666 पर कब्जा कई वर्षो से चलता आ रहा था और इसके लिए तहसीलदार साबला के द्वारा विपक्षी का कब्जा अनाधिकृत

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

मानकर अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम में कई बार कार्यवाही की गई जिसकी साक्ष्य के रूप में जो विपक्षी के पास उपलब्ध है इसके अनुसार तहसीलदार साबला के द्वारा वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 एवं 2021 के नोटिस पेश किये है। इससे यह स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 2666 पर विपक्षी का कब्जा आवंटन के पहले से चलता आ रहा है एवं आवंटन के पश्चात बतौर खातेदार के कब्जा पटवारी हल्का दौलपुरा के द्वारा दिनांक 22.02.2022 के रोज सुपुर्द कर काबिज किया गया । प्रार्थी का उक्त आराजी नम्बर 2666 एवं 2662 पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त में आराजी नम्बर 2666 एवं 2662 के आस पास कोई अन्य जमीन स्थित नही है। इन दोनो आराजीयात के चारो ओर थुअर की बाड विपक्षी के द्वारा लगाई हुई चली आ रही है। आराजी नम्बर 2666 पर सन 2021 से पहले कई वर्षो से कब्जा एवं काश्त वादग्रस्त जमीन चला आ रहा था, क्योंकि उस समय यह राज्य सरकार की खाते की जमीन थी इस कारण विपक्षी के कब्जे काश्त के कारण तहसीलदार साबला के द्वारा विपक्षी को अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस देकर जुर्माना वसूल किया गया । इसके साक्ष्य के रूप में सन 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 एवं 2021 के नोटिस पेश है। आवंटन दिनांक 18.11.2021 के पश्चात दिनांक 22.02.2022 को पटवारी हल्का दोलपुरा जिसके क्षैत्र में गांव भाटोली है ने विपक्षी को कब्जा सुपुर्द कर, बतौर खातेदार कब्जा संभलाया है। विपक्षी ने उक्त आराजी में तिल की फसल भी की है एवं पूर्व से भी काश्त करता आ रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।.

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। आवंटन मिसल सं. 343 दिनांक 18.11.2021 का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि आवंटी भीम सिंह पिता पृथ्वी सिंह , हंतोक पत्नी भीम सिंह निवासी भाटोली तहसील साबला जिला डूँगरपुर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.1618 हैक्टेयर , खसरा न. 2276 रकबा 0.2427 है0 दिनांक 18.11.2021 को आवंटन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी रिकोर्ड अनुसार रेस्पोडेण्ट खसरा न. 2666 (नया नम्बर 3333/3328) रकबा 0.1618 है0 में गैर खातेदार दर्ज है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में **वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, कब्जा सुपुर्द नहीं किया जाना एवं आवंटी द्वारा तथ्य छिपा कर गलत रूप से आवंटन कराया जाने का अकंन किया है।** अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्रो के कथनों में समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता है और आवंटी द्वारा आवंटन गलत रूप से कराया जाना साबित होता हो।

इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को तथ्य छिपा कर गलत रूप से आवंटन कराया जाने का अकंन किया है। जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन fraud/Misreprasent एवं तथ्य छिपा कर आवंटन कराया जाना साबित होता हो। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल न. 343/2021 आदेश कमांक 70 दिनांक 18.11.2021 को मौजा भाटोली के खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 और 2 आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 23.07.25 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर